



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



8 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 787 राँची, शुक्रवार

29 दिसम्बर, 2023 (ई०)

## नगर विकास एवं आवास विभाग

-----

संकल्प

27 दिसम्बर, 2023

**विषय:-** गुमला नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक - निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु रु० 12,358.63 लाख (रु० एक सौ तेईस करोड़ अट्ठावन लाख तिरसठ हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

संख्या-5/यो०/ठो०अ०प्र०(गुमला) -13/2015-5831--74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है । अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक/ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) एक प्रमुख अवयव है ।

2. भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख घटक माना गया है। इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थापन करते हुये पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है।
3. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा भी MSW Rule, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेतु बल दिया जा रहा है।
4. TSP प्रक्षेत्र, गुमला नगर परिषद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना हेतु 5.00 एकड़ भूमि उपलब्ध होने के क्रम में लोक - निजी भागीदारी (PPP Mode) पर उक्त योजना का क्रियान्वयन हेतु DPR तैयार कराया गया है, जिसमें CAPEX अंतर्गत MRF, waste processing plant तथा scientific landfill (SLF) का निर्माण कार्य किया जाना है एवं 20 वर्षों तक Door to door collection, transportation, segregation, waste processing तथा inert अपशिष्ट को SLF में डंप करने का कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। परियोजना लागत रु० 12,358.63 लाख (रु० एक सौ तेईस करोड़ अठ्ठावन लाख तिरसठ हजार) मात्र है जिस पर मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है। जिसकी विवरणी निम्न तालिका में दर्ज है :

तालिका - I

| S. No. | Particular                                        | Amount in ₹ Lakh |
|--------|---------------------------------------------------|------------------|
| 1      | Total Project Cost (A+B+D)                        | 12358.63         |
| A      | Capital Cost (CAPEX)                              | 1096.37          |
| B      | Total Operation & Maintenance for 20 Years (OPEX) | 11104.72         |
| C      | Income From the Project                           | 6212.47          |
| D      | Others (DPR, PMC, IEC, CB, EC &Contingency etc.)  | 157.54           |

5. योजना के Capex मद में व्यय, स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 की मार्गदर्शिका के आलोक में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के CAPEX मद में केन्द्रांश के रूप में रु० 107.26 लाख (रु० एक करोड़ सात लाख छब्बीस हजार) की स्वीकृत दी गई है तथा राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा राज्यांश के रूप में रु० 70.79 लाख (रु० सत्तर लाख उनासी हजार) एवं रु० 36.47 लाख (रु० छत्तीस लाख सैंतालिस हजार) 15th Finance से स्वीकृत किया गया है। PP पार्टनर द्वारा Capex में न्यूनतम 30% राशि अर्थात रु० 328.91 लाख (रु० तीन करोड़ अठाईस लाख इक्यानबे हजार) व्यय किया जाने एवं शेष राशि रु० 552.94 लाख (रु० पाँच करोड़ बावन लाख चौरानबे हजार) राज्य योजना के सुसंगत मद से दिया जाना है। CAPEX अंतर्गत Components wise financial break-up की विवरण तालिका - II में दर्ज है :-

## तालिका - II

## Gumla Solid Waste Management CAPEX – Components wise financial break-up

(Amount in Lakh)

|   | Fund Flow for CAPEX                         | Total CAPEX    | Central Share under SBM 2.0 | Matching State Share | Fund From 15th FC | PPP Share     | State Grant   |
|---|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | Waste Processing Facility                   | 490.92         | 64.46                       | 42.54                | 21.92             | 147.28        | 214.724       |
| 2 | Dry Waste Facility                          | 125.11         | 30.16                       | 19.91                | 10.25             | 37.53         | 27.254        |
| 3 | Sanitary Landfill                           | 225.55         | 12.64                       | 8.34                 | 4.30              | 67.67         | 132.605       |
| 4 | Primary Collection Storage & Transportation | 254.79         | 0.00                        | 0.00                 | 0.00              | 76.44         | 178.353       |
|   | <b>Total</b>                                | <b>1096.37</b> | <b>107.26</b>               | <b>70.79</b>         | <b>36.47</b>      | <b>328.91</b> | <b>552.94</b> |

CAPEX के उक्त राशि का व्यय वर्षवार निम्नवत किया जाएगा:-

| वर्ष      | व्यय किये जाने वाली राशि (लाख रु० में)       |
|-----------|----------------------------------------------|
| 2023 - 24 | 254.97 (रु० दो करोड़ चौवन लाख सत्तानबे हजार) |
| 2024 - 25 | 420.70 (चार करोड़ बीस लाख सत्तर हजार)        |
| 2025 - 26 | 420.70 (चार करोड़ बीस लाख सत्तर हजार)        |

6. योजना के OPEX मद में व्यय, स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 अंतर्गत योजना के OPEX हेतु वित्तीय प्रावधान नहीं होने के क्रम में योजना के OPEX मद में होने वाली कुल व्यय रु० 11104.72 (एक सौ ग्यारह करोड़ चार लाख बहत्तर हजार) का वहन योजना के क्रियान्वयन से होने वाली आय (यूजर चार्ज, प्रोडक्ट सेल आदि) कुल आकलित राशि रु० 6212.47 लाख एवं निकाय के आंतरिक आय श्रोत (सम्पत्ति कर संग्रह) का 40% से किया जाना है। निकाय के सम्पत्ति कर संग्रह के 40% से व्यय पूर्ण नहीं होने की स्थिति में शेष राशि का वहन राज्य योजना के सुसंगत मद द्वारा निकाय से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जायेगा। इस योजना की 20 वर्षों में OPEX हेतु आने वाले कुल व्यय का Fund Flow निम्नवत तालिका - III में दर्ज है :

**Gumla Solid Waste Management (OPEX) – Components wise financial break-up**

तालिका-III

(Amount in Lakh)

| Fund Flow for OPEX |                   | Total     | State Grant | ULB Share | Income From Project |
|--------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|
| 1                  | Opex for 20 Years | 11,104.72 | 2106.84     | 2,785.41  | 6,212.47            |

7. योजना में अनुदान की राशि SBM 2.0 अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश, 15th Finance तथा राज्य योजना के सुसंगत Budget शीर्ष से तालिका - IV में अंकित विवरणी के अनुरूप किया जाएगा:-

तालिका - IV

| S. No. | Particular                                                              | Amount in ₹ Lakh | Budget head                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1      | Total Project Cost                                                      | 12,358.63        | –                            |
| 2      | Income from Project (User Charges, Sale of products & by products etc.) | 6,212.47         | –                            |
| 3      | Fund from PP Partner                                                    | 328.91           | –                            |
| 4      | Central Government Share in CAPEX                                       | 107.26           | 48-C-2217-80-796-AB-00-06-79 |
| 5      | Corresponding State Government Share In CAPEX                           | 70.79            | 48-S-2217-80-796-AB-00-06-79 |
| 6      | 15th FC Fund in CAPEX                                                   | 36.47            | 48-C-2217-80-796-99-01-06-79 |
| 7      | ULB Share * in OPEX                                                     | 2,785.41         | –                            |
| 8      | Grant from State Grant (In OPEX & Others)                               | 2,817.32         | 48-S-2217-80-796-94-01-06-79 |

\*ULB Share : सम्पत्ति कर संग्रहण के अनुमानित आकलन पर आधारित ।

8. योजना को DBOT (Design ,Built, Operate & Transfer) mode पर किया जाना है ।
9. PPP मोड पर कार्य करने हेतु Concessionaire का चयन e - निविदा के माध्यम से किया जाएगा । चयनित concessnaire द्वारा CAPEX Waste Processing Plant अधिष्ठापित करते हुए 20 वर्षों तक door to door waste collection, storage, transportation, processing एवं disposal का कार्य किया जाएगा । निकाय द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण से RFP के अनुमोदनोपरान्त Concessionaire चयन हेतु निविदा प्रकाशित की जाएगी । निकाय द्वारा निविदा के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पर राज्य शहरी विकास अभिकरण अंतर्गत गठित निविदा समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

10. Door to door waste collection, Storage एवं Transportation हेतु संयंत्र एवं वाहनों का क्रय निकाय द्वारा जेम (GeM) पोर्टल से किया जाएगा, (GeM) पोर्टल पर अनुपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार निविदा के माध्यम से क्रय किया जाएगा, जिस पर कुल व्यय रु० 254.97 लाख (रु० दो करोड़ चौवन लाख सत्तानबे हजार) संभावित है ।
11. उपर्युक्त विवरणी के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव है कि गुमला नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक - निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु रु० 12,358.63 लाख (रु० एक सौ तेईस करोड़ अट्ठावन लाख तिरसठ हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है ।
2. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की बैठक दिनांक 15.12.2023 को मद संख्या 04 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से,

**विनय कुमार चौबे,**  
सरकार के सचिव ।

-----